Date
27/04/2020

Subject - Gender, School and Society
प्रकरण - यौन उत्पीड़न एवं शोषण को रोकने के प्रयास

B.Ed 2nd Year

यौन उत्पीड़न एवं अपशब्द को रोकने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विद्यालय, धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन संस्थाओं मे परिवार एवं समुदाय, व विभिन्न नियम अधिनियम एवं उनके कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सरकार द्वारा किए गए प्रयास :-

अप्रैल 2000 मे मानव अधिकार एवं कानून संघ की दिल्ली इकाई ने कार्यस्थलों महिला उत्पीड़न के खिलाफ अभियान को प्रारम्भ किया। इस अभियान मे निम्नलिखित मुद्दों को सम्मिलित किया गया -

1.) मानव अधिकार एवं कानून संघ द्वारा दिल्ली कार्यालय मे एक प्रशिक्षण और साधन केन्द्र स्थापित किया गया।

2.) यौन पीड़ित महिलाओं के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन प्रारम्भ किया गया।

3.) शिक्षा का प्रचार - प्रसार करना।

4.) यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीतियाँ तैयार करने और शिकायत समिति गठित करने में संस्थानों की सहायता करना।

5.) प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार।

6.) नियमों का सख्त पालन।

7.) जागरूकता कार्यक्रम का संचालन। 8.) बालिकाओं की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध 9.) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

P.T.O.

सरकारी अधिनियमों द्वारा यौन उत्पीड़न एवं शोषण रोकना :-

1.) सन 1955 में पारित हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान अनेक अधिकारों की प्राप्ति हुई।

2.) सन 1971 एक कमेटी 'कमेटी ऑफ स्टेटस ऑफ वीमन इन इण्डिया' के नाम से गठित की गयी। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज एवं संस्थाओं में कार्यरत स्त्रियों की सुरक्षा सम्बन्धी सुझाव देना था।

3.) सन 1976 में औद्योगिक संस्था में 30 से अधिक स्त्रियों के कार्य करने पर, उसमें शिशु देखभाल की व्यवस्था की गई, एवं औद्योगिक व अन्य संस्थाओं में समान अधिनियम की व्यवस्था कर लिंग भेद को समाप्त किया गया।

4.) दहेज विरोधी संशोधन करके उसे कठोर बनाया गया। जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न को रोकना है।

5.) सरकार द्वारा कार्यालयों में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा लिंग संवेदनशीलता के अभाव का व्यवहार न किया जाये।

6.) लिंग संवेदनशीलता के अभाव के व्यवहार में उसे स्त्रियों के प्रति अभद्रता एवं यौन उत्पीड़न माना जायगा।

7.) यदि किसी कार्यालय में अधीनस्थ स्त्री को दुर्भावना से स्पर्श किया जाय या अश्लील फिल्म दिखाना, उत्पीड़न के अन्तर्गत ही सम्बन्धी व्यक्ति को सख्त सजा का प्रावधान है।

8.) पुरुष कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर सम्बन्धित स्थापित करना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में है जिसे रोकने के लिए महिला मानव अधिकार व पुलिस न्याय व्यवस्था व सरकारी वकीलों द्वारा सम्बन्धी व्यक्ति को सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है।

Course Complete

Sudhi Tyagi
27/04/2020

Scanned with CamScanner

(हमारे स्वंय करें)

UNIT - 5th

EXERCISE

* विस्तृत उत्तरीय प्रश्न :-

(i) संघर्ष का अर्थ एवं परिभाषाएँ बताते हुए संघर्ष के आयामो का वर्णन कीजिए।?

(ii) हिंसा रोकने वाली संस्थाओ की भूमिका का सविस्तार वर्णन करें।?

(iii) यौन उत्पीड़नु एवं शोषण रोकने मे सरकार द्वारा किए गए प्रयासो का वर्णन कीजिए।?

(iv) प्रजनन तथा यौन अधिकार की आवश्यकता एवं महत्तव का वर्णन करे।?

* लघु उत्तरीय प्रश्न :-

(i) पास-पड़ास मे यौन उत्पीड़न के कारणो पर प्रकाश डालिए।?

(ii) लैंगिकता विकास मे प्राथमिक शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए।?

(iii) हिंसा रोकने वाली सस्थाओ मे विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए?

(iv) भावात्मक संघर्ष को स्पष्ट कीजिए।?

* अति लघु उत्तरीय प्रश्न :-

(i) प्रजनन एवं यौन अधिकार से आप क्या समझते है?

(ii) सामाजिक संघर्ष की दो विशेषताएं बताइए।?

(iii) इलेक्ट्रानिक मीडिया के दो प्रमुख साधन बताइए।?

(iv) यौन उत्पीड़न का अर्थ बताइए।?

Scanned with CamScanner